न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट **(R.A.S.)**
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 05/2017 **(RCMS No. 2017/00011)**

प्रार्थीगण

1. उम्मेदसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 68 वर्ष
2. हरिराम पुत्र उगमसिंह जाट निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू–धारक) कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 51 सी.पी.सी.

उपस्थित – श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी राजकीय पैरोकार

आदेश

दिनॉक :– 15.11.2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हाजा में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की सम्भावना है, ग्राम मांगलोदी में पुराना खसरा नम्बर 5 रकबा 438 बीघा स्थित है इस खसरे को पुराने राजस्व रेकर्ड में खारड़ा अंकित किया हुआ है परन्तु यह खसरा हमेशा से काश्त के काम में आ रहा है, इस खसरे के कई विभाजन किये जा चुके है तथा उनके अलग–अलग खसरा नम्बर आंवटित किये जा चुके है, प्रार्थीगण के पास वर्तमान में इस खसरे का जो नये है उसके नम्बर 267/27 रकबा 5.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 5.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 11.26 हैक्टर स्थित है, खसरा नम्बर 27 28 29 पहले 5.94 हैक्टर था, जिसमें प्रार्थीगण ने कुआ बनाया एवं जमीन सिंचाई के लिए तैयार की एवं अपनी ढ़ाणी बसाई इस प्रकार इसके तीन खसरा नम्बर 27, 28, 29 कर दिये गये, कुआ बनाने से जमीन सिंचाई योग्य हो गई एवं प्रार्थीगण को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 159 के अर्न्तगत सम्वत 2060 तक के [illegible] कर दिया गया, कुआ खसरा नम्बर 28 से सिंचाई खसरा नम्बर 267/27 के क्षेत्र में होती है एवं खसरा नम्बर 27 के भी कुछ क्षेत्र में सिंचाई होती है [illegible] 11.26 हैक्टर एक चक है कोई भी विभाजन रेखा नही है, खसरा नम्बर 27, [illegible] एवं 29 एवं खसरा नम्बर 267/27 प्रार्थीगण ने परसाराम पुत्र बलदेव जाट निवासी कुचामन से खरीद किया था, प्रार्थीगण का कब्जा परसाराम के कब्जे को सम्मिलित करते हुए सम्वत 2006 के पहले से लगातार है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में सम्वत 2018 से अंकित है इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण का कब्जा गत 67 वर्षो से लगातार चला आ रहा है, राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी गत 55 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त है, पुराना खसरा नम्बर 5 जिसके नये खसरा नम्बर 27, 28, 29 एवं 267/67 एक हिस्से के है इनमें खसरा नम्बर 27, 28, 29 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है, परन्तु खसरा नम्बर 267/27 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम अंकित नही है जबकि मौके पर चारो खसरे एक ही चक में है, प्रार्थीगण का कब्जा गत 67 वर्षो से लगातार है इसलिए प्रार्थीगण को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त है, ग्राम मांगलोदी कुचामन की जागीर का गांव था तत्कालीन कुचामन राजा ने पुराना खसरा नम्बर 5 के उपरोक्त रकबा 11.26 हैक्टर अर्थात 72 बीघा क्षेत्र काश्त के लिए परसाराम को बताया गया था, इसलिए परसाराम को दिनॉक 06.04.1949 को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनॉक 15.10.1955 को लागू हुआ उसके अनुसार भी परसाराम उपरोक्त खसरे का खातेदार काश्तकार हो गया, चूँकि प्रार्थीगण परसाराम के फुटस्टेप पर है इसलिए प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी सम्वत 2006 से माना जायेगा, राजस्व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 267/67 गैर मुमकिन खारड़ा लिखा हुआ है एवं प्रार्थीगण एवं उसके पूर्व के खातेदार से राजस्व अधिकारियों ने लगान जुर्माने के रूप में वसूल किया है जिससे भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण का कब्जा उनके पूर्व के कब्जे को सम्मिलित करते हुये 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है इसलिए भी खसरा नम्बर 267/27 में धारा 214 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 27 मयाद अधिनियम से भी राज्य सरकार के विरूद्व अधिकार परिपक्व हो चुके है एवं प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है जिसके तहत तहसीलदार कुचामनसिटी मौके पर आये एवं खसरा नम्बर 267/27 एवं खसरा नम्बर 27 के बीच में विभाजन रेखा डालने का प्रयास किया उन्होनें प्रार्थीगण को धमकाया कि प्रार्थीगण बीच में सीमा रखा डाल दे अन्यथा राज्य सरकार सीमा रेखा डाल देगी एवं उसका खर्चा प्रार्थीगण से वसूल किया गया। खसरा नम्बर 267/27 के प्रार्थीगण विधिवत खातेदार है केवल राज्य सरकार अपनी भूल को सही करने की दृष्टि से प्रार्थीगण का अतिक्रमण बता रहा है जबकि प्रार्थीगण विधिवत खातेदार हो चुके है, खसरा नम्बर का एवं क्षेत्रफल का विवाद हो वहॉ खेत की बाउण्डरी ही कब्जे का एवं अधिकार प्र[illegible] है, राज्य सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी खसरा नम्बर 267/27 को खसरा नम्बर 27 के पश्चिम में बताते है खसरा नम्बर 27 एवं 267/27 के बीच में कोई भी विभाजन नही है न ही मौके पर दोनो खसरे अलग नजर आते है बल्कि एक ही चक है ऐसी स्थिति में खसरो का विवाद का हल केवल मात्र बाउण्डरी है, प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण काबिज है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं प्रार्थीगण के विधि के अनुसार भी अधिकार परिपक्व हो चुके है इसलिए इससे वंचित रखना वादी के विधिवत प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

किये अधिकारो को इन्कार करना है जो अधिकार राज्य सरकार को कानून प्राप्त नही है, अप्रार्थी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, जिन्होने प्रार्थीगण को बेदखली की धमकी दी है िकवे कभी भी जे.सी.बी. मशीन लाकर खेत के पश्चिम हिस्से को अलग कर बेदखल कर देंगे, इसलिए वादी का यह वाद बहुत ही आवश्यक प्रकृति का है, चूँकि वाद राज्य सरकार के विरूद्व है इसलिए धारा 80 (1) सी.पी.सी. के तहत उनके विरूद्व दावा लाने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वर्तमान स्थिति में नोटिस देकर वाद लाना संभव नही है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी फरमाई जावे कि खसरा नम्बर 27 के पश्चिमी में स्थित खसरा नम्बर 267/27 जो खसरा नम्बर 27 का एक भाग है से प्रार्थीगण को बेदखल न करे एवं न ही उन्हे काश्त करने से रोके एवं न ही खसरा नम्बर 267/27 एवं खसरा नम्बर 27 के बीच कोई सीमा विभाजन डाले।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पुराना खसरा नम्बर 5 रकबा 438 बीघा सम्वत 2008 से 2026 मिसल बन्दोबस्त में अलावा जोत नाकाबिल काश्त गै.मु. खारड़ा दर्ज है, खसरा नम्बर 267/27 रकबा 5.32 हैक्टर राजकीय खाते में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है, खसरा नम्बर 267/27 से इस बात का कोई सम्बन्ध नही है, खसरा नम्बर 267/27 रकबा 5.32 हैक्टर राजकीय खाते मे गैर मुमकिन खारड़ा दर्ज है, खसरा नम्बर 267/27 राजकीय भूमि को क्रय या विक्रय करने का कोई अधिकार नही है, खातेदारी भूमि के पास राजकीय भूमि स्थित होने से स्वतः ही राजकीय भूमि में खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त नही हो सकते या स्वतः ही नही माने जा सकते, राजकीय भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित है उनमें कभी भी किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते, वक्त जागीर यदि कब्जा काश्त रहा होता तो विधिवत उक्त भूमि की खातेदार अवश्य दर्ज होती, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित किस्म की भूमियों मे कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है, प्रार्थीगण का कथन काल्पनिक एवं मनगढ़ंत है, धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वाद/प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

दौराने सुनवाई [illegible] पदमपुरा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत हुआ, जिस पर सुनवाई कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 5 सम्वत 2008 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति,नकल खतौनी सम्वत 2071–2074,धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत जारी की छाया प्रति, सम्वत 2047–2050 की छाया प्रति, सम्वत 2051–2054,

उपखण्ड अधिकारी

2059–2062, गिरदावरी नकल 2018, 2028, 2030 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा All India Reporter page-SC 3077, RLW1998(2)Raj pagee741-746 ,& 2019 (1) CJ (Civ) (Raj) page 135-142 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता एवं राजकीय पैराकार की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि सम्तव 2008 से 2026 मिसल बन्दोबस्त अनुसार अलावा जोत नाकाबिल काश्त गै.मु. खारड़ा दर्ज रही है तथा उसके पश्चात भल राजकीय खाते में निरन्तर दर्ज रहती आई है, कभी भी प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज नही है, समय समय पर प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है, प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित किस्म की भूमियों मे कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है, प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र मनगढ़त तथ्यो एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत नजीरे भी किसी भी दृष्टि से प्रार्थना–पत्र पर चस्ता नही होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में किसी भी दृष्टि से साबित नही होते है, अतः प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 15/11/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचाम- सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested